



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 36

पटना, बुधवार,

12 भाद्र 1947 (श0)

3 सितम्बर 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-10
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	11-15
पूरक	---
पूरक-क	16-17

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

26 अगस्त 2025

सं0 07/विविध(ग्रामीण बैंक)-58/2011-1331/वि0-राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में राज्य में कार्यरत बिहार ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल में राज्य सरकार के नामित सदस्य के रूप में निम्न अनुसार मनोनयन किया जाता है :-

क्र0	निदेशक मंडल से संबंधित ग्रामीण बैंक का नाम	निदेशक मंडल में राज्य सरकार (वित्त विभाग की ओर से) के नामित सदस्य
1.	बिहार ग्रामीण बैंक	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, भा0प्र0से0, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

1. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
2. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव।

25 अगस्त 2025

सं0 08/NBFC-09/2019-1326/वि0-वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1113 दिनांक-11.07.2025 के द्वारा निर्गत बिहार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 (CSR Policy, 2025) की कंडिका-11.1.3 के आलोक में बिहार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी (CSR Society) के कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव एवं CSR Society के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) के पद पर श्री मुकेश कुमार लाल, विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
महावीर प्रसाद शर्मा, अपर सचिव।

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2025

सं0 02/स्था0-02-04/2023-3111-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000, दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधान एवं शर्तों के तहत श्री संदीप कुमार, सेवानिवृत्त विशेष कार्य पदाधिकारी (बि0प्र0से0) (को0क्र0-362/23) को दिनांक-01.10.2025 से 31.03.2026 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी (उप सचिव एवं समकक्ष स्तर) के पद पर संविदा के आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग में नियुक्त किया जाता है।

2. संविदा अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में यथा-प्रावधानित दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. संविदा अवधि में श्री कुमार को सभी पदीय शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियाँ सहित) प्राप्त होगी।
4. संविदा अवधि में आकस्मिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों के समान क्षतिपूरक अवकाश भी अनुमान्य होगा।

5. इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-19.08.2025 को आहूत बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो0 नदीमुल गफफार सिद्दीकी, संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

8 जुलाई 2025

सं0 1/अ0-1023/2022-सा0प्र0-12430—श्री नितिन कुमार सिंह, भा.प्र.से. (बी एच: 2018), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर बाली (इंडोनेशिया) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 24.07.2025 से 31.07.2025 तक कुल 08 (आठ) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

2. श्री नितिन कुमार सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभाग (कृषि विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद, अवर सचिव।

14 जुलाई 2025

सं0 1/सी0-1013/2025-सा0प्र0-12865—श्री दिनेश कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 15.07.2025 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 13.06.2025 के आलोक में आलोच्य प्रयोजन से कम-से-कम तीन माह पूर्व आवेदन समर्पित करने की शर्त को अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन क्षांत करते हुए 1958 की आलोच्य नियमावली के नियम-16(2) के प्रावधान के तहत श्री राय को दिनांक-15.07.2025 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

18 जुलाई 2025

सं0 1/पी0-1006/2025-सा0प्र0-13258—डॉ0 नन्द लाल आर्य, भा.प्र.से. (2014), बंदोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी0-1006/2025-सा0प्र0-13259—श्री सुमन कुमार, भा.प्र.से.(2014), अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य पदस्थापन के आलोक में श्री संजय कुमार, भा.प्र.से. (2011), विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय एवं श्री महाबीर प्रसाद शर्मा, भा.प्र.से. (2013), अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना अन्यत्रा पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

18 जुलाई 2025

सं0 1/अ0-1014/2021-सा0प्र0-13272—श्रीमती अमृषा बैन्स., भा.प्र.से.(बी एच: 2018), विशेष कार्य पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ.-1014/2021-सा.प्र.-10637 दिनांक 08.07.2024 द्वारा दिनांक 05.08.2024 से 31.01.2025 तक 180 दिनों के लिए स्वीकृत मातृत्व छुट्टी की निरन्तरता में विभागीय अधिसूचना संख्या-अ.-1014/2021-सा.प्र.-1114 दिनांक 20.01.2025 के माध्यम से दिनांक 01.02.2025 से 30.07.2025 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की शिशु पोषण छुट्टी प्रदत्त है।

2. श्रीमती बैन्स से प्राप्त अद्यतन आवेदन के अनुरूप उन्हें प्रदत्त उपर्युक्त छुट्टियों को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-18 (डी) के तहत शिशु पोषण छुट्टी के रूप में दिनांक 31.07.2025 से 28.11.2025 तक कुल 121 (एक सौ इक्कीस) दिनों के लिए विस्तारित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

20 जुलाई 2025

सं० 1/अ०प्र०-1002/2025-सा०प्र०-13275—विभागीय पत्रांक-1/अ०प्र०-1002/2025- सा०प्र०-13274 दिनांक 20.07.2025 द्वारा श्री प्रशांत कुमार सी. एच. भा.प्र.से.(2015), निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना) को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 21.07.2025 से 16.08.2025 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण—III में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी. एच. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

**बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।**

20 जुलाई 2025

सं० 1/अ०-1014/2015-सा०प्र०-13276—श्रीमती शैलजा शर्मा, भा.प्र.से.(बी एच: 2013), अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 13.06.2025 एवं 24.06.2025 तक कुल 12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।**

29 जुलाई 2025

सं० 1/अ०-418/07-सा०प्र०-13951—श्री सरवणन एम., भा०प्र०से०(बी एच: 2002), सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.08.2025 एवं 08.09.2025 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सरवणन एम. की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

**बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रजनीश कुमार, संयुक्त सचिव।**

30 जुलाई 2025

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14036—श्री निखिल धनराज निष्पणीकर, भा.प्र.से. (2018) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित कर अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (2012), वर्तमान समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे।

**बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।**

2 अगस्त 2025

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14259—श्रीमती हरजोत कौर बम्हरा, भा.प्र.से. (1992), अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14260—श्री मिहिर कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1993), अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक महानिदेशक—सह—मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14261—डॉ. आशिमा जैन, भा.प्र.से. (2008), सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. डॉ. आशिमा जैन जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बनी रहेंगी।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14262—श्रीमती रचना पाटिल, भा.प्र.से.(2010), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— निदेशक, संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक,

बिपार्ड, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14263—श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2011), विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14264—श्री संजय कुमार, भा.प्र.से. (2011) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर महानिदेशक, बिपार्ड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री संजय कुमार अगले आदेश तक विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14265—श्री अरविन्द कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(2012) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14266—श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, भा.प्र.से.(2013) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14267—श्री महाबीर प्रसाद शर्मा, भा.प्र.से.(2013) (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत) को अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14268—श्री यशपाल मीणा, भा.प्र.से. (2014), अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14269—श्री कृष्ण कुमार, भा.प्र.से. (2017), संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, संग्रहालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-1005/2025-सा०प्र०-14270—श्री आशुतोष द्विवेदी, भा.प्र.से. (2018), संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार— विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) अगले आदेश तक राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

4 अगस्त 2025

सं० 1/अ०-1001/2020-सा०प्र०-14333—श्रीमती प्रतिभा रानी, भा.प्र.से. (बी एच: 2018), परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, बिहार, पटना (विभागीय अधिसूचना संख्या-1/अ०-1001/2020-सा०प्र०-9318 दिनांक 26.05.2025 द्वारा दिनांक 26.05.2025 से 21.11.2025 तक के लिए मातृत्व छुट्टी प्रदत्त) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियमों के अधीन आलोच्य मातृत्व छुट्टी की अवधि में दिनांक 09.08.2025 से 14.08.2025 तक कुल 06 (छः) दिनों के लिए वैयक्तिक व्यय पर नेपाल की निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

4 अगस्त 2025

सं० 1/अ०-1016/2019-सा०प्र०-14334—श्री तनय सुल्तानिया, भा.प्र.से. (बी एच: 2017), जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन वैयक्तिक व्यय पर फुकेट (थाईलैंड) की निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 16.08.2025 से 22.08.2025 तक कुल 07 (सात) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।

2. श्री तनय सुल्तानिया की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में उप विकास आयुक्त, भोजपुर (आरा) रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।

4 अगस्त 2025

सं० 1/पी०-1012/2025-सा०प्र०-14354--श्री प्रत्यय अमृत, भा.प्र.से.(1991), विकास आयुक्त, बिहार (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को श्री अमृत लाल मीणा, भा.प्र.से. (1989), मुख्य सचिव, बिहार की दिनांक 31.08.2025 को नियत वार्धक्य सेवानिवृत्ति के आलोक में दिनांक 01.09.2025 के प्रभाव से स्थानान्तरित कर मुख्य सचिव, बिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. दिनांक 01.09.2025 को मुख्य सचिव, बिहार के पद का प्रभार ग्रहण किए जाने के पूर्व तक श्री प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. बी. राजेन्द्र, अपर मुख्य सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

12 अगस्त 2024

सं० 15/औ०-14-01/2021-612 (15)/स्वा०—औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 और उसके अंतर्गत विनिर्मित नियमावली 1945 में विहित प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०-09/2022 के आलोक में अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत वेतन स्तर-09 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों सहित योगदान की तिथि से औषधि निरीक्षक के पद पर सशर्त परिक्ष्यमान रूप में नियुक्त करते हुए स्तम्भ-08 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्त बिल्कुल अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है।

3. सभी नवनियुक्त औषधि निरीक्षकों की विवरणी निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	नाम	अनुक्रमांक	वरीयता क्रमांक	कोटि जिसमें चयन हुआ है	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापन स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुंदन कुमार केशरी	902634	1	अनारक्षित	01.02.1988	पटना	सारण-02
2	समरीन परवीन	901547	2	अनारक्षित	15.02.1988	गया	नालंदा-04
3	मो० छईफुल अहमद	900188	3	अनारक्षित	12.06.1992	अन्य राज्य	बेगुसराय-01
4	अच्युत ठाकुर	902600	4	अनारक्षित	10.10.1997	पूर्णिमा	सुपौल-02
5	मिलिन्द गीद	900130	5	अनारक्षित	09.01.1988	अन्य राज्य	भागलपुर-03
6	मो० सरफराज आलम	900729	6	अनारक्षित	14.08.1980	पूर्णिमा	सुपौल-03
7	अमरेन्द्र कुमार	900269	7	अनारक्षित	05.06.1987	पूर्वी चम्पारण	भागलपुर-05
8	राजेश कुशवाहा	900131	8	अनारक्षित	15.08.2000	अन्य राज्य	दरभंगा-02
9	मो० असगर अली	901878	9	अनारक्षित	10.12.1982	नालंदा	बेगुसराय-02
10	देव कुमार	903207	10	अनारक्षित	17.02.1987	शेखपुरा	औषधि नियंत्रण निदेशालय
11	रवि प्रकाश कुमार	902945	11	अनारक्षित	05.09.1993	भोजपुर	बेगुसराय-05
12	महेश कुमार साव	901502	13	अनारक्षित	30.04.1995	सिवान	शिवहर-01
13	सागरमल सोनी	901449	14	अनारक्षित	04.02.1989	अन्य राज्य	पूर्वी चम्पारण-04
14	सतीश कुमार सिंह	901985	15	अनारक्षित	05.12.1983	सारण	प० चम्पारण 03
15	राकेश सिंह	902726	16	अनारक्षित	03.09.1987	अन्य राज्य	पूर्वी चम्पारण 05
16	विकास सिन्हा	903004	17	अनारक्षित	01.03.1985	पटना	खगडिया 01
17	रवि शंकर	903322	18	अनारक्षित	06.09.1984	सीतामढ़ी	सीवान 01
18	वर्षा किशोर	902857	19	अनारक्षित	20.11.1988	नालंदा	शेखपुरा 02
19	इशु भारद्वाज	902593	20	अनारक्षित	25.12.1997	अन्य राज्य	गया 05
20	विकास कुमार गुप्ता	900711	21	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	04.02.1985	पश्चिमी चम्पारण	मधुबनी-05

21	पंकज रंजन भारती	902517	22	पिछड़ा वर्ग	06.07.1984	कटिहार	सहरसा 03
22	हरे राम सिंह	902897	23	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	22.05.1991	भोजपुर	औरंगाबाद 01
23	सुरभीबेन मोहनलाल देशाई	901745	24	अनारक्षित	30.09.1996	अन्य राज्य	कैमूर -01
24	किरण	902990	25	अनारक्षित	02.02.1997	अन्य राज्य	कैमूर-02
25	मुकेश कुमार राउत	900633	26	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05.07.1992	सीतामढ़ी	सीवान 02
26	स्वर्णिमा	900268	28	अनारक्षित	02.11.1997	शेखपुरा	भागलपुर-06
27	अनिल कुमार चौरसिया	900866	29	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18.02.1986	कैमूर	नालंदा 02
28	शिखा कुमारी	900306	30	अनारक्षित	02.12.1988	भोजपुर	सारण 04
29	अभिनीत सौरभ	902737	31	पिछड़ा वर्ग	28.08.1990	पटना	मुंगेर 03
30	संजीव कुमार	902110	33	पिछड़ा वर्ग	04.03.1984	सुपौल	पूर्णिया- 05
31	अर्चना कुमारी	901501	34	पिछड़ा वर्ग	15.12.1996	समस्तीपुर	दरभंगा-04
32	उज्जवल प्रसाद रंजन	902100	35	अनुसूचित जाति	23.01.1983	औरंगाबाद	बेगुसराय-06
33	कन्हैया किशोर सिंह	900774	44	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	30.12.1986	दरभंगा	पं0 चंपारण 04
34	अभिषेक चौहान	900835	46	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	28.08.2000	पटना	कैमूर-03
35	राहुल कुमार	903026	50	पिछड़ा वर्ग	09.02.1999	जहानाबाद	शिवहर-02
36	अजय कुमार राय	901020	52	पिछड़ा वर्ग	10.11.1985	पूर्वी चम्पारण	मधुबनी-04
37	नेहा रंजन सिंह	903052	57	पिछड़ा वर्ग	15.10.1995	सिवान	पटना-05
38	गोबिन्दर कुमार	900160	58	अनुसूचित जाति	25.11.1981	सिवान	मधुबनी-06
39	श्रृंखला	900907	64	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	11.11.1997	गया	पटना-07
40	रेनू ठाकुर	903266	66	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	14.01.1997	गोपालगंज	पटना-09
41	मृणाल	903218	75	पिछड़ा वर्ग महिला	16.03.1999	औरंगाबाद	रोहतास 04
42	राजा राम मोहन राय	900058	76	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02.01.1994	भोजपुर	खगडिया 03
43	खुशी कुमारी	903460	79	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.07.1999	दरभंगा	मधेपुरा 03
44	श्वेता कुमारी सिंह	902661	84	पिछड़ा वर्ग महिला	15.01.1983	अरवल	पटना- 14
45	उमा कुमारी	901573	92	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.08.1993	औरंगाबाद	भोजपुर 03
46	प्रियंका भारती	903067	95	अनुसूचित जाति	15.02.1985	पटना	नालंदा-03
47	सिंह नादकर नारायण सिंह	900551	97	अनारक्षित (स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित)	07.03.1977	मुजफ्फरपुर	पूर्णिया-01

48	प्रेम भास्कर	901011	109	अनुसूचित जाति	25.12.1990	बेगुसराय	पूर्णिमा-04
49	अनुप दास	901846	117	अनुसूचित जाति	05.04.1998	जमुई	कटिहार 03
50	राजनंदिनी	901623	122	अनुसूचित जाति	21.06.1997	पटना	भोजपुर 04
51	हर्षिता हर्ष	900323	123	अनुसूचित जाति	14.05.1994	रोहतास	बक्सर 03
52	पूजा कुमारी	903341	124	अनुसूचित जाति	10.02.1998	कटिहार	सुपौल 05

4. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की सेवा पदग्रहण की तिथि से दो वर्षों तक परिवीक्षाधीन रहेगी। परिवीक्षा की अवधि में सेवा संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर बिना कारण बताए नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

5. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त यदि गलत पाया जाता है तो नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी तथा अभियोजन दायर किया जायेगा।

6. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की नियुक्ति इस शर्त के साथ औपबंधिक होगी कि यदि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन में कोई आरोप प्रतिवेदित होगा, तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

7. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक को बिहार राज्य के अंतर्गत कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है। इनकी सेवा बिहार औषधि नियंत्रण सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 एवं राज्यस्तरीय सेवा के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिये लागू सभी सेवा शर्तों एवं अन्य प्रावधानों के अधीन होगी।

8. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक की पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अधिमान क्रम के अनुसार होगी।

9. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक, औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत विनिर्मित नियमावली, 1945 में विहित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

10. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्य करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

11. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनादि का भुगतान देय होगा।

12. नवनियुक्त औषधि निरीक्षक पदस्थापन जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान समर्पित करेंगे। योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर समादेश याचिका संख्या-17581/2022, 2280/2024 एवं अन्य सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

14. क्रम संख्या-47 पर अनुशंसित उम्मीदवार, श्रीसिंह नादकर नारायण सिंह अनुक्रमांक-900551 द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित से संबंधित प्रमाण पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही योगदान स्वीकृत किया जा सकेगा।

15. रंजना जैन, अनुक्रमांक 900859 काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पायी। उन्हें काउंसलिंग हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। काउंसलिंग के उपरान्त ही उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

16. पूर्व में पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति से संबंधित निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कृष्णा उरॉव, अवर सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

27 अगस्त 2025

सं०-एल/एच०जी०-14-15/2025-9529—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-5561, दिनांक-21.08.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, इस क्रम में श्री प्रेमचन्द, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली का आवेदन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1213(23),

दिनांक—22.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित अवकाश आदेयता के आलोक में श्री प्रेमचन्द, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, वैशाली को बिहार सेवा संहिता के नियम—227, 230 एवं 248(क) के तहत दिनांक—01.09.2025 से 30.09.2025 तक कुल 30 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद, उप सचिव।

**VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I**

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 27th August 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2025--5819—WHEREAS, It was alleged that **Shri Vijay Pratap Singh, S/o-Late Ram Rekha Singh, Address-Mohalla-Ram Gulam Tola, P.S.-Dewariya, District-Dewariya (U.P.)** while holding the then **Sub-Divisional Officer, Hathua (Gopalganj), Madhaura/the then Additional Collector, Gopalganj/the then Secretary to the Commissioner, Darbhanga Division, Darbhanga Office** in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 or clause (b) of sub-section (1) of section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Amended Act, 2018) and that the matter was investigated in VIB P.S. Case No.-**56/2013 dated 03.09.2013** of,

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of the **Shri Vijay Pratap Singh** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means;

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the Special Courts Act, 2009/Bihar Special Courts (Amendment) Act, 2022.

By the order of the Governor of Bihar-
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

**VIGILANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR
SOOCHNA BHAWAN, 4TH FLOOR, PATNA**

ORDER

The 27th August 2025

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-11/2025--5818—On the basis of the details of property of **Shri Vijay Pratap Singh** furnished with the application given by the Special

Vigilance Unit for filing before the authorized officer of the Special Vigilance Court, there is prima facie evidence against **Shri Vijay Pratap Singh the then Sub-Divisional Officer, Hathua (Gopalganj), Madhaura/the then Additional Collector, Gopalganj/ the then Secretary to the Commissioner, Darbhanga Division, Darbhanga, S/o- Late Ram Rekha Singh, Address-Mohalla-Ram Gulam Tola, P.S.-Dewariya, District-Dewariya (U.P.)** who is named accused in VIB P.S. Case No.-**56/2013 dated 03.09.2013** registered u/s 13(1)(e)/13(1)(b) read with section-13(2) Prevention of corruption Act 1988, for confiscation of property worth **₹62,35,334/- (Sixty Two Lakh Thirty Five Thousand Three Hundred Thirty Four Rupees Only)** which is more than known source of income, under Bihar special Courts Act 2009.

2. The Public Prosecutor is hereby authorized to present an application under Section 13(1) of the Bihar Special Courts Act, 2009 before the court of the authorized officer under Section 3 of the Bihar Special Courts Act, 2009 for confiscation of the above said property of **Shri Vijay Pratap Singh**.

By Order,

Arvind Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 24—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

अधिसूचना

2 अप्रिल 2025

सं० BSEB/SS/SCHP/775/24—440—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 2019 के अध्याय—VI की धारा—33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति विनियमावली—2018 का संशोधन शिक्षा विभाग के पत्रांक: 09/बि०वि०प०स०—04/2018.....196, दिनांक—28.03.2025 के द्वारा प्राप्त हो चुका है। संशोधित विनियमावली, 2025 का हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण सर्वसाधारण को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति

(संशोधन) विनियमावली—2025

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 के अध्याय—VI की धारा —33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एतद द्वारा विभाग के सम्पुष्टि के अध्यक्षीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति विनियमावली—2018 का संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाती है:—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ:— (1) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति (संशोधन) विनियमावली—2025 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह विनियमावली माध्यमिक/इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2025 के परीक्षाफल के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
- विनियमावली का विनियम—3 निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:—
(3) छात्रवृत्ति की राशि एवं इसके भुगतान की अवधि :— यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्रथम से दशम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र—छात्राओं को एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर तीनों संकायों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) में प्रथम से पंचम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र—छात्राओं को दिया जायेगा।
छात्रवृत्ति की राशि एवं इनके भुगतान की अवधि निम्नवत् होगी :—

क्र०	छात्रवृत्ति का प्रकार	छात्रवृत्ति राशि	छात्रवृत्ति राशि के भुगतान की अवधि
(i)	माध्यमिक वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति	2000/—(दो हजार रुपये) प्रतिमाह	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से नामांकित होकर अध्ययनरत् रहने पर 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अर्थात् दो वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (कोर्स) में नियमित रूप से अध्ययनरत् रहने पर उक्त कोर्स की समाप्ति तक छात्रवृत्ति देय होगी।

(ii)	इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति	2500/—(दो हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम (कोर्स) के लिए नामांकित होकर नियमित रूप से अध्ययनरत् रहने पर तीन वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्नातक तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम (कोर्स) में नामांकित होकर नियमित रूप से अध्ययनरत् रहने पर चार वर्ष तक अथवा समेकित (Integrated) पाँच वर्षीय कोर्स के लिए पाँच वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। तकनीकी शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रम (कोर्स) में नामांकित होकर नियमित रूप से अध्ययनरत् रहने पर उक्त कोर्स के समाप्ति तक छात्रवृत्ति दी जाएगी।
------	--	--	---

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, सचिव।

BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD

Bihar School Examination Board Deshratna Dr. Rajendra Prasad Merit Scholarship (Amendment) Regulation-2025

In exercise of power conferred under section 33 of the Chapter-VI of Bihar School Examination Board Act, 2019, The Bihar School Examination Board hereby make the following Regulation to amend the Bihar School Examination Board Deshratna Dr. Rajendra Prasad Merit Scholarship Regulation-2018 subject to confirmation by the Department.

- Short title extent and commencement:- (1) These Regulation may be called Bihar School Examination Board Deshratna Dr. Rajendra Prasad Merit Scholarship (Amendment) Regulation, 2025
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) These Regulation shall come into force from the date of result of Matric/Intermediate Examination 2025.
- Regulation-3 of the Regulation shall be substituted by the following:-
(3) The rates of Scholarship and time period of its payment- The rates of Scholarship and time period of its payment will be awarded to students standing first ten places in the merit list based on the result of the Annual Matric Examination and also to those standing first five places in the merit lists based on the result of the Annual Intermediated Examination of each of the three faculties (Arts, Sciences and Commerce) separately, the rates of scholarship and time period of its payment will be as follow:

Serial No.	Type of Scholarship	Amount	Time Period of Payment
01	Scholarship to be awarded according to merit list based on the result of Annual Matic Examination.	Rs. 2000/- Per Month	Upto two years only, that is in class 11 th and 12 th if the awardee studying as a regular student after taking regular admission in the institutions duly approved by the state govt. or the Central govt, for Diploma Courses in technical education the Scholarship will be given upto completion of the Courses if the awardee studying as a regular Student.
02	Scholarship to be awarded according to merit list based on the result of annual	Rs. 2500/- Per Month	Upto three years for those awardee who have been studying as a regular student after taking regular admission in general graduate course in the institutions approved by the State govt. or the Central govt.

	Intermediate Examination.		Studying regularly after taking admission in technical education course in the institutions approved by the State govt. or the Central govt., the scholarship will be given upto four years or upto five years for the integrated five years course. For Diploma courses in technical education the Scholarship will be given upto completion of the course if the awardee, studying as a regular student after taking admission in the institutions approved by the State govt. or the Central govt.
--	---------------------------	--	--

By Order,
Sd./Illegible, Secretary.

सूचना

No. 820--I, Akchita Kumari D/o Sri Alok Kumar R/o Shersah Road, Maharajganj, P.O.-Gulzarbagh, P.S.-Alamganj, Patna, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 125, dt. 19.07.2025 that my name is written in my educational certificate, Voter Id and other documents as Akchita Kumari which is correct whereas in my Aadhar Card name is written as Akshita Kumari, Both the names are same and one person. From now I will be known as Akchita Kumari for all purposes.

Akchita Kumari.

No. 821--I, Sanjeev Kumar S/o Sri Kapildeo Singh R/o Vill- Veer Kunwar Singh colony Road No.- 09, P.O-Civil Aerodram. P.S.- Magadh Medical, Dist.-Gaya decalre vide affdavit no. 2306/20.06.25 that correct name of my daughter is Ishika Singh is mentioned in her birth certificate and Bank Account. Due to the clerical mistake her Aadhar card is issued by name Ishika, which needs to be rectified substituing the name Ishika by Ishika Singh.

Sanjeev Kumar.

No. 822--I, Sanjeev Kumar, S/o Ram Sagar Singh ward no.-9, Bishunpur, Ratwara, Sitamarhi, Ratwara Kailashpuri, P.s.-Dumra, Distt.-Sitamarhi, Bihar-843301. My daughter Alpana 10th and 12th educational certificates my name is wrongly mentioned as Sanjeev Kumar Singh, but my correct name is Sanjeev Kumar. From now I will be known as Sanjeev Kumar for all future purposes. Affidavit no.-41 dated-18/07/2025.

Sanjeev Kumar.

सं० 824--मैं, पूनम देवी (Poonam Devi), पति- लालबाबू सिंह (Lalbabu Singh), पता:- चकजमाल, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली, बिहार - 844509 की स्थायी निवासी हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम **Saurav Kumar** अंकित है, जो सही एवं सत्य है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में भूलवश उसका नाम **सौरभ कुमार (Saurabh Kumar)** दर्ज हो गया है। ये दोनों नाम मेरे पुत्र से ही संबंधित हैं। मेरा पुत्र भविष्य में अब सभी कार्यों हेतु **Saurav Kumar** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाएगा। **शपथ-पत्र संख्या: - 250 दिनांक: - 28/07/2025.**

पूनम देवी (Poonam Devi).

No. 825--I, KUMAR YOGESH CHANDRA, (कुमार योगेश चंद्र) S/o.-Saryug Ram, 28, Hajiyapur-27 Gopalganj, Near-S.P. Residence, P.o--Gopalganj, District- Gopalganj, Bihar 841428 do hereby solemnly affirm and declare as follows as per Affidavit No.2161, dated-05.07.2025. That my name is KUMAR YOGESH CHANDRA mentioned in record of Birth Certificate and Voter Id card Correct. That my name in my Aadhar and pan Card is wrongly written as KUMAR YOGESH CHAND. That KUMAR YOGESH CHANDRA and KUMAR YOGESH CHAND both are same and one person. That from now I will be know as KUMAR YOGESH CHANDRA for All future purpose.

KUMAR YOGESH CHANDRA (कुमार योगेश चंद्र).

No. 826--I Mohammad Banti, S/O. Mohammad Jainul Abedin, Mo-Dargah Road, Masoom Patna 800006 Bihar do solemnly affirm and declare as per Affidavit No 2096, Dated 30-06-2025 That my Minor Son's Aadhar card name has been written as MD MUZZAMMIL ABEDINE. But in his Birth Certificate his name is mentioned as MOHAMMAD MUZZAMMIL. That from now he will be know as MOHAMMAD MUZZAMMIL for All future purpose.

Mohammad Banti.

सं० 833--मैं, राहुल कुमार, पिता-वीर बहादुर सिंह, निवासी ग्राम रसुलपुर, पो.-साईन, थाना-बेलसर, जिला-वैशाली, बिहार शपथ पत्र सं. 16076 दिनांक 25.04.25 द्वारा यह सूचित करता हूं कि पहले मैं राहुल कुमार के नाम से जाना जाता था जो कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है। सभी कार्यों एवं उद्देश्यों हेतु अब मैं राहुल कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

राहुल कुमार।

No. 834--I, Ramesh Srivastava, S/o-Late Kesho Prasad, R/o-Vill.-Pipradih, P.O.+P.S.-Jhajha, Distt. Jamui Bihar-811308 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-9326 dt. 23.06.25 That my name is written in my son Aashish Srivastava's all educational documents as ramesh Kumar Srivastava which is wrong. As per Aadhar card my true/correct name is Ramesh Srivastava. Ramesh Srivastava and Ramesh Kumar Srivastava Both names are same and one person. From now I will be known as Ramesh Srivastava for all purposes.

Ramesh Srivastava.

सं० 835--मैं, नवनीत नयन, पिता-शिवशंकर पांडेय, ग्राम-पनहास, आनन्दपुर, वार्ड नं.-27, जिला-बेगूसराय, बिहार शपथ पत्र सं.-53 दिनांक 18.02.2025 द्वारा यह सूचित करता हूं कि मेरे पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम श्रेया कुमारी दर्ज हो गया है। मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया राज है एवं भविष्य में वह श्रेया राज के नाम से जानी जायेगी।

नवनीत नयन।

No. 840--I, Sadhvi W/o Navish Kumar Thakur R/o Village-Sundarkhauli, P.O.-Başua, P.S.-Aurai, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 28926 dt. 04.07.2025 that my name is written in my daughter Richa Kumari's Birth Certificate written as Sadhwee Devi and CBSE AISSE all educational documents, BSEB, Intermediate all documents and Banasthli Vidyapith B.Sc Nursing documents written as Sadhvee Kumari. In Aadhar Card written as Sadhvi. Sadhwee Devi, Sadhvee Kumari and Sadhvi all names are same and one person. From now I will be known as Sadhvi for all purposes.

Sadhvi.

No. 841--I SADDAM HUSSAIN, S/O. MD SHAKEEL AKHTAR, Vill - Ward No 41 P.o.-Ramna, District- Muzaffarpur Bihar 842002 do solemnly affirm and declare as per Affidavit No.29749 dated-11-07-2025 that my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as SADDAM HUSSAIN Correct. But 10th matriculation C.B.S.E Certificate my name has been wrongly mentioned as SADDAM HUSAIN. That from now I will be know as SADDAM HUSSAIN for All future purpose.

SADDAM HUSSAIN.

No. 842--I, Navish Kumar Thakur S/o Ram Vinod Thakur R/o Village-Sundarkhauli, P.O.-Basua, P.S.-Aurai, Distt.-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 28923 dt. 04.07.2025 that my name is written in my daughter Richa Kumari's Birth Certificate CBSE AISSE all educational documents and Banasthali Vidyapith B.Sc. Nursing documents as Navish Thakur. Whereas in Aadhar Card written as Navish Kumar Thakur. Both names are same and one person. From now I will be known as Navish Kumar Thakur for all purposes.

Navish Kumar Thakur.

No. 846--I, Rishikesh Sahpuri S/o Baidya Nath Sahpuri R/o Flat No.-B/704, Expression Exotica Apartment, Gola Road, Near Apna Bazar, P.O.-Danapur Cantt, P.S.-Rupaspur, Patna, Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 393 dated 03.07.25 that my son's name is written in his birth certificate as Aadvik. In residential certificate written as Aadvik Arya. Both names are same and one person. From now he will be known as Aadvik Arya for all purposes.

Rishikesh Sahpuri.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 24—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० प्र०-II-रा०(आ०)-02/2025-4760/एम०

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

26 अगस्त 2025

श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा जिला खनन कार्यालय, गया में पदस्थापन के दौरान बालूघाटों के बंदोबस्तधारियों/ संवेदकों पर आवंटित क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किये जाने के कारण उनपर अधिरोपित दण्ड को मनमाने ढंग से संशोधित कर आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

- (i). संवेदक मेसर्स जय भगवती माइन्स के विरुद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम के पत्रांक-400, दिनांक-08.06.2023 से उनके विरुद्ध ₹ 19,35,22,820/- (उन्नीस करोड़ पैंतीस लाख बाईस हजार आठ सौ बीस) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु ₹ 6,81,494/- किया गया।
- (ii). संवेदक मेसर्स मालिक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विरुद्ध निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम के पत्रांक-391, दिनांक- 06.03.2023 से उनके विरुद्ध ₹ 3,28,55,357/- (तीन करोड़ अठाइस लाख पचपन हजार तीन सौ सन्तावन) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु ₹ 8,14,832/- किया गया।
- (iii). संवेदक श्री रंजीत कुमार के विरुद्ध पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए बिहार राज्य खनन निगम के पत्रांक-404, दिनांक-06.03.2023 से उनके विरुद्ध ₹ 8,14,31,388/- (आठ करोड़ चौदह लाख एकतीस हजार तीन सौ अठासी) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु ₹ 11,58,184/- किया गया।
- (iv). संवेदक श्री रामजी प्रसाद सिन्हा के विरुद्ध निर्धारित क्षेत्र से बाहर अवैध खनन के लिए खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा पत्रांक-1532, दिनांक-15.06.2023 से उनके विरुद्ध ₹ 48,83,980/- (अड़तालीस लाख तेरासी हजार नौ सौ अस्सी) का दण्ड अधिरोपित किया गया, जिसे श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा संशोधित करते हेतु ₹ 6,31,861/- किया गया।

2. वर्तमान खनिज विकास पदाधिकारी, गया द्वारा श्रीमती भारती के आदेशों के विरुद्ध माननीय खान आयुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया। माननीय खान आयुक्त द्वारा तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए आदेश ज्ञापांक-1174, दिनांक-25.02.2025, आदेश ज्ञापांक-962, दिनांक-19.02.2025, आदेश ज्ञापांक-1173, दिनांक-25.02.2025, आदेश ज्ञापांक- 1482, दिनांक-08.03.2025 से पूर्व में अधिरोपित दण्ड को कायम रखने का आदेश पारित किया गया है।

श्रीमती निधि भारती, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, गया का उपरोक्त कृत्य उनकी स्वेच्छाचारिता, अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही, विभागीय आदेश की अवहेलना, संवेदक के पक्ष में कार्य करना, राजस्व के प्रति संवेदनशील नहीं होने का परिचायक होने के साथ-साथ सरकारी राजस्व की बड़ी क्षति पहुँचाने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का द्योतक है। विभागीय पत्रांक 3719 दिनांक 08.07.2025 से श्रीमती निधि भारती पर गठित आरोप पत्र पर लिखित अभिकथन की मांग की गई है। आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,

नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती निधि भारती, खनिज विकास पदाधिकारी को तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, खान एवं भूतत्व, पटना निर्धारित किया जाता है।

इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 24—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>